अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई–मेल
संख्या–3420/9–1–2017–119रिट/2011

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2017

विषय–स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यों के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नगर निकायों का कार्यकाल लगभग समाप्ति पर है। ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियॉ विद्यमान है कि नागर निकायों का निर्वाचन तत्काल कराना संभव नही है। अतः उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गयी व्यवस्था तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या–11226/2011 संदीप उर्फ संदीप महरोत्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 के अनुपालन में नई निकायों के गठन तक निम्नानुसार अन्तरिम व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1). निकायों की कार्यावधि की गणना उनके गठन के पश्चात् शपथ ग्रहण की तिथि के उपरान्त प्रथम बैठक की तिथि से की जायेगी।

(2). निकायों की कार्यावधि के उपरान्त, नगर आयुक्त, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को निकायों के कार्य संचालन का दायित्व सौंप दिया जाय।

(3). निकाय की कार्यकारिणी समिति बहुमत के द्वारा नगर आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों को परामर्श दे सकेगी एवं यह समिति नागरिकों के लिए दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करेगी। ऐसा करने में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक/मानदेय/भत्ता देय नहीं होगा। नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के संबंध में कार्यकारिणी समिति का आशय निकाय बोर्ड से होगा।

2. नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में खातों का संचालन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अध्यक्ष के

न रहने पर खातों के संचालन में कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में खातों का संचालन अधिशासी अधिकारी के अतिरिक्त वहां के लेखा विभाग में कार्यरत उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी (यथा लेखाकार) को संयुक्त हस्ताक्षर हेतु अधिकृत कर दिया जायेगा। जहां केन्द्रीयित सेवा का कर्मचारी/अधिकारी तैनात न हो तो वहॉ लेखा का कार्य देख रहे कार्मिक को इस प्रयोजन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अधिकृत कर दिया जाय :–

(1) उक्त कार्मिक अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत नामित किया गया हो।
(2) "यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संयुक्त हस्ताक्षर की उक्त व्यवस्था के तहत धनराशि का नकद(Cash) आहरण यथा सम्भव न किया जाय तथा चेकों का आहरण सुसंगत नियमों/आदेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने के पश्चात ही नियमानुसार किया जाय।"

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2– निजी सचिव मा0 मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
3– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, (पंचायत एवं स्थनीय निकाय) लखनऊ।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
7– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
8– वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।